दुर्ग शनिवार 8 जनवरी 2022

चिन्तक

राज्य में आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी प्रभावित - मुख्यमंत्री

रायपुर (चिन्तक)। /मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गों के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम

खासबात

- सभी वर्गों के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को देंगे मात
- गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 5.37 करोड़ की राशि
- गौपालकों को हो चुका 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान

मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्यों में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के तहत हर पखवाड़े में नियमित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गौपालकों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन की कार्ययोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्व प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव वित्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी., राजस्व विभाग के सचिव एन.एन. एक्का, संचालक भू-अभिलेख अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर मुख्यमंत्री ने गुरूवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था।

शहर के दो मेडिकल स्टोर को किया गया 15 दिवस के लिए सील

कवर्धा (चिन्तक)। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध शराब, गांजा नशीली दवाइयों की बिक्री, एवं प्रतिबंधात्मक दवाइयों को मेडिकल स्टोर में रखने या बिक्री पर अंकुश लगाने समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग करने निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली के मुखबीर के द्वारा सूचना दिया गया कि प्रतिबंधात्मक दवाइयों का बिलासपुर रोड दर्रीपारा के चंदन मेडिकल स्टोर एवं शिवम मेडिकल स्टोर कवर्धा में बिना

प्रतिबंधात्मक दवाइयों के बिक्री पर कबीरधाम पुलिस व की टीम ने दिखाई सख्ती

किसी डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के प्रतिबंधात्मक दवाइयों को दिया जाता है। जिससे लगातार क्षेत्र के युवक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उक्त सूचना पर थाना सिटी कोतवाली टीम के द्वारा पुलिस टीम एवं ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र पाटीदार के साथ रवाना किया गया था जिनके द्वारा मेडिकल स्टोर में रखें दवाइयों की चेकिंग की गई थी। जिसमें (1) शिवम मेडिकल स्टोर ठाकुरपारा कवर्धा थाना कवर्धा के दवाई दुकान में निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 5 के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न औषधियों का क्रय विक्रय रिकार्ड मांगे जाने पर संधारित नहीं किया गया था, जोकि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3), ल65(4),65(6) का उल्लंघन है, एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 6 के अनुसार निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कालातीत औषधियों का संधारण अन्य बिक्री की जाने वाली औषधियों के साथ पाया गया, जो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(17) साथ ही कंण्डिका 9 के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न औषधियों का क्रय विक्रय रिकॉर्ड मांगे जाने पर संधारित नहीं पाया गया।

दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने पहल

वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ रखने दिया गया समझाइस

कवर्धा (चिन्तक)। जिले में वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा क्राइम मीटिंग में जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए सख्त हिदायत दिया गया है कि अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र के वाहन दुर्घटना होने वाले स्थानों पर जाकर उक्त स्थान पर वाहन दुर्घटना के कारण को समझ कर संबंधित विभाग की मदद से दूर करने का हर संभव प्रयास करें। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात/नक्सल श्री पी.आर.

कुजुर, के मार्गदर्शन में यातायात शाखा प्रभारी एवं जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा अभियान चलाकर जिन स्थानों में सबसे अधिक वाहन दुर्घटना होता है वहां जाकर नगर पालिका की टीम की मदद से वाहनों के आवागमन के दौरान रोड पर निकले पेड़ों के टहनियों की छटाई तथा अनावश्यक झाड़ियों की साफ-सफाई कराई गई, ट्रांसपोर्ट नगर जोरा ताल मोड़ के पास कबाड़ टायर की रंगाई कर मोड़ के दोनों किनारों पर लगाया गया है जिससे दूर से आने वाले वाहनों को मोड़ स्पष्ट नजर आए जिससे वाहन दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। यह अभियान कवर्धा यातायात की टीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर जोरा ताल रोड एवं राजनांदगांव रोड में चला गया। इसी कड़ी में थाना सहसपुर लोहारा, थाना बोड़ला, थाना पंडरिया, थाना कुकदुर, में भी संबंधित विभाग से मिलकर वाहन दुर्घटना होने वाले स्थानों का चयन कर बचाव के लिए उपाय किए गए हैं।

29 नग सागौन व 199 नग बीजा चिरान जप्त

बीजापुर, (चिन्तक)। जिले के भैरमगढ़ वन परिक्षेत्र के नेलसनार सर्किल के कर्रपारा निवासी करका कोरसा पिता सोमडू कोरसा के घर एवं बाड़ी से 29 नग सागौन चिरान 0.453 घ.मी. ईमारती एवं 199 नग बीजा चिरान 3.7686 मी. लकड़ी कुल 228 नग 4.221 घ.मी. ईमारती चिरान जप्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। सम्पूर्ण छापेमारी की कार्यवाही में शिवकुमार मण्डावी वनपाल, मनोज समरथ सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पुसनार, जंलघर यादव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सतवा, गिरीश खूंटे वनरक्षक, संजू कवासी वनरक्षक, राहुल कपूर वनरक्षक, गणपत मण्डावी वनरक्षक, योगेन्द्र नेताम वनरक्षक, कु. सुन्दरदई समरथ वनरक्षक, कु. रामकुमारी राना वनरक्षक, मनीष नेताम वनरक्षक का योगदान रहा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी होगी पहली किश्त - भूपेश

गणतंत्र दिवस पर

योजना से 3.56 लाख से अधिक भूमिहीन परिवार होंगे लाभान्वित

रायपुर (चिन्तक)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख 56 हजार 485 पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों को सालाना 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के बजट मे का प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे , मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले और सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव वित्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी., राजस्व सचिव एन.एन.एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शहरी किरायेदार को भूमिस्वामी हक पर मकान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाई के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीनों को मकान मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से प्राइवेट कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग इन वर्गों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि कालोनाइजरों द्वारा नगरीय निकायों को हस्तांतरित की गई है। उन्होंने इस भूमि का लाभ कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से लिंकेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिले और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि मार्केट सर्वे कर यह जानकारी ली जाए कि बाजार में किन वस्तुओं की मांग है। मांग के आधार पर गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पाद तैयार कराए जाएं। बघेल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में महिला समूहों को सोलर पैनल तैयार करने का प्रशिक्षण देकर उनसे सोलर पैनल तैयार कराये जाएं। हालर और पेराई के लिए एक्सपेलर जैसी मशीनें अनुदान पर स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध

मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन

राजनांदगांव (चिन्तक)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान के महत्व एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जागव बोटर (जाबो) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

जिले के सभी विकासखंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व नोडल अधिकारी जाबो द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत पनेका के गौठान निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों ने मतदान जागरूकता जाबो के तहत शपथ ली और अपने गांव के सभी मतदाताओं को आगामी '20 जनवरी मतदान अवश्य करे' का संदेश दिया।

मैनुअल स्कैवेंजर्स समिति की बैठक 11 को

राजनांदगांव (चिन्तक)। अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक 11 जनवरी 2022 को टीएल बैठक के बाद अपर कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में मैनुअल स्कैवेंजर्स के तहत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के संबंध में बैठक आयोजित की गई

मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक वसूला गया 24100 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा (चिन्तक)। नगर पालिक निगम कोरबा का मैदानी अमला आज भी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने में सक्रिय रहा, मास्क न पहनने वालों पर आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 8500 रूपये के अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए उन्हें घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की हिदायत दी गई, वहीं दूसरी ओर निगम के विभिन्न वार्ड, बस्तियों, सार्वजनिक स्थानों में सेनेटाईजेशन का कार्य भी जारी रहा। निगम द्वारा अब तक मास्क न पहनने वालों पर कार्यवाही करते हुए 24100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के मार्गदर्शन एवं आयुक्त कुलदीप शर्मा के दिशा निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निरंतर जमीनी कार्यवाही की जा रही है, एक ओर जहाँ लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की समझाईश विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत मास्क न पहनने वालों पर निगम अमले ने अर्थदण्ड की कार्यवाही की तथा 8500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 2200 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1900 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 700 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 300 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। निगम द्वारा विगत 04 दिनों से की जा रही कार्यवाही के दौरान अब तक 24100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है।

लोन लेने के लिए ITR बनवाए मात्र 500/- रू. में
जी.एस.टी. रिटर्न | FOOD लायसेंस
इनकम TAX फाईल | MSME रजिस्ट्रेशन
TDS रिफन्ड | प्रोजेक्ट रिपोर्ट
IT नोटिस | डिजिटल सिगनेचर
सम्पर्क- शेखर गुप्ता WWW.ONLYTDS.COM
हमारे TAX EXPERT आपकी मदद करने हेतु तैयार
9300755544, 8878655544

श्री खाटू श्याम ज्योतिष
जन्मकुण्डली विशेषज्ञ
हर मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान
व्यापार बढ़ोत्तरी, किया कराया, शादी के लिए माता पिता को मनाना,
मोहनी स्पेशलिस्ट
पं. रविकांत शर्मा
जन्मकुण्डली विशेषज्ञ
''ज्योतिष मेरा काम नही, मेरी साधना है''
दीपावली बुकिंग के लिए संपर्क करें
: बुकिंग समय :
सुबह 9.00 बजे से
सुबह 10.00 बजे तक
: मिलने का समय :
सुबह 10.00 बजे से
शाम 6.00 बजे तक
नोट : मिलने के लिए अपाईटमेंट लेना आवश्यक है
''जब कही ना हों काम, तो हमसे ले समाधान''
पोलसायपारा चौक, गुप्ता प्रेस के नीचे, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)
Mobile : 9755964567, 8269882138

BARMECHA ELEVATORS
Best Product..... Best Service.....
BARMECHA ELEVATORS
C/o. Kamla Motors, G.E. Road, Ganjpara, Durg (C.G.)
Cont. : +91 90398 79080 Email : barmechatex@gmail.com